पर्यवेक्षण माध्यम को शामिल करते हुए निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

सामान्यतः लोको प्रचालन गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर्मीदल नियंत्रक, मुख्य कर्मीदल नियंत्रक, मुख्य लोको निरीक्षक द्वारा किया जाता हैं। कर्मीदल प्रबंधन और दैनिक लोको परिचालन गतिविधियों के निर्णय इनके द्वारा लिये जाते हैं। इस स्तर पर असाधारण मामलों पर निर्णय संभव नही होता है। अतः ऐसे मामलों को उच्च प्राधिकारियों अर्थात सहायक मंडल यॉंत्रिक इंजीनिय (शक्ति एवं ईएनएचएम) या वरिष्ठ मंडल यॉंत्रिक इंजीनियर (शक्ति एवं ईएनएचएम) के पास भेजा जाता है । बड़े मामले जैसे नीतिगत निर्णय जो वरिष्ठ मंडल यॉंत्रिक इंजीनियर (शक्ति एवं ईएनएचएम) की सक्षमता से बाहर हों उन्हें अपर मंडल रेल प्रबंधक अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय को उच्च स्तर पर अंतिम निपटान हेतु भेजा जाता है।